न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 22/2018

1 रामनिवास पुत्र प्रहलाद।
2 सागरमल पुत्र प्रहलाद।
3 प्रभुदयाल पुत्र प्रहलाद।
4 कुन्दनलाल पुत्र प्रहलाद समस्त जाति माली पेशा खेती निवासीगण वार्ड नम्बर 3 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 देवरा भैरूजी वाके मौजा खरकड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये वली पुजारी शंकर पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी खरकड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 प्यारेलाल पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी खरकड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी दावा उनवानी रामनिवास आदि बनाम देवरा भैरूजी आदि दावा घोषणा संख्या 154/2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जगदीशचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–9-11-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 154/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व गत खसरा नम्बर 28 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम टिला वाली हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 1.18 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 601/49 रकबा 0.15 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 603/49 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम टिल्ला वाली तहत तहसील खेतड़ी है। जमीन खसरा नम्बर 601/49 व खसरा नम्बर 603/49 में सड़क बनी हुई है। यह सड़क वाली जमीन नियमानुसार खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के सड़क निर्माण के लिये अपीलांट/वादीगण के पिता के अवाप्त की गई थी। शेष जमीन खसरा नम्बर 48 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 1.18 हैक्टेयर वाके ग्राम टिला वाली तहत तहसील खेतड़ी के बाबत अपीलांट्स/वादीगण ने खातेदारी हकुक के अनुतोष का दावा विचारण न्यायालय में किया जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ही पक्षकार थे। रेस्पोडेंट नम्बर 3 को बाद में पक्षकार बनाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 3/प्रतिवादी नम्बर 3 प्यारेलाल ने जवाब दावा पेश न कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया। जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के संवत 1998 के मिशल हकियत के काश्तकार के कॉलम में अपीलांट के पूर्वजो का नाम है। विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की खुदकाश्त की कभी नही रही है। प्यारेलाल मूर्ति मंदिर का पुजारी नही है। मंदिर माफिदार जागीदार के कॉलम में दर्ज है। जागीरदारी उन्मूलन हो चुकी है। अपीलांट खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नही। इसका निर्धारण विचारण न्यायालय में तनकी कायम होकर साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त हो सकता है। प्रथम दृष्टया अपीलांट का वाद विधि द्वारा वर्जित किस प्रकार है इसका विवेचन विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में नही किया गया है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 में खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर न्याय निर्णयन हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. (एस.सी.) 2015 पेज 242, आर.एल.डब्ल्यू 2015(2) पेज 1530, ए.आई.आर. 2015(राज.) पेज 179, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 435, आर.एल.डब्ल्यू 2001(1) पेज 600, ए.आई.आर. 2014 पेज 2665 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि विवादित भूमि संवत 1998 से लगातार मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज चली आ रही है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है। मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर वादी अपीलांट का वाद विधि अनुसार खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि विवादित भूमि संवत 1998 से लगातार मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज चली आ रही है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है। मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर वादी अपीलांट का वाद विधि अनुसार खारिज किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9-11-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर